राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 1/2016/उदयपुर.
(सम्बन्धित अपील संख्या–1582/2013/उदयपुर)

मैसर्स अब्दुल गफ्फार, सिलावट वाड़ी, उदयपुर. .....प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर. .....अप्रार्थी.

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 15/02/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत् संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसमें माननीय राजस्थान कर बोर्ड के द्वारा अपील संख्या 1582/2013/उदयपुर में पारित किये गये निर्णय दिनांक 27.11.2015 संशोधन किये जाने की प्रार्थना की गई है।

2. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किये गये आवेदन को दोहराते हुए उक्त निर्णय दिनांक 27.11.2015 को संशोधित किये जाने का कथन किया।

3. राजस्व की ओर से उप राजकीय अभिभाषक ने निर्णय दिनांक 27.11.2015 में कोई त्रुटि नहीं होना बताया एवं किये गये आदेश को विधिसम्मत बताकर प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

5. माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा किये गये निर्णय दिनांक 27.11.2015 में दर्शाये गये तथ्यों एवं लागू होने योग्य विधि एवं अधिसूचना का परिशीलन किया गया। माननीय कर बोर्ड के समक्ष यह बिन्दु था कि अपीलार्थी को बिल्डिंग निर्माण का ठेका जो कि उन्हें दिनांक 12.07.2011 को प्राप्त हुआ था एवं उस ठेका कार्य के लिये करमुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये दिनांक 09.04.2012 को आवेदन कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर यह बताया गया था कि उनके द्वारा दिनांक 12.07.2011 से कार्य प्रारम्भ किया गया था ऐसीं स्थिति में उन्हें दिनांक 12.07.2011 को प्रचलित अधिसूचना संख्या दिनांक 11.08.2006 में दिये गये शुल्क दर 1.5 प्रतिशत से मुक्ति प्रमाण पत्र

लगातार.....2

जारी किया जाये परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 3 प्रतिशत से शुल्क दर निर्धारित की गई थी वह त्रुटिपूर्ण थी। उक्त अधिसूचना में दिनांक 01.04.2012 से संशोधन कर दर 3 प्रतिशत लागू की गई थी।

6. माननीय कर बोर्ड ने यह निर्णय किया कि अपीलीय अधिकारी ने जो निर्णय दिनांक 14.03.2013 एवं 30.05.2013 में किये गये हैं वह उचित है कि दिनांक 12.07.2011 को जो दर लागू थी वही लागू होगी न कि 09.04.2012 को संशोधित की गई दर लागू होगी।

7. संशोधन आवेदन पत्र के क्रम में दिनांक 11.08.2006 की अधिसूचना एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.08.2006 का अवलोकन किया गया। इस अधिसूचना में शुल्क दर की सूची में आईटम नं. 2 पर बिल्डिंग कार्य पर शुल्क दर 1.5 निर्धारित थी।

8. उसके पश्चात उक्त अधिसूचना में दिनांक 26.03.2012 को अधिसूचना संख्या एफ.12(15)/एफडी/टैक्स/12–114 के द्वारा शुल्क दरों में परिवर्तन किया गया जिससे बिल्डिंग कार्य दिनांक 01.04.2012 से तीन प्रतिशत की शुल्क दर में सम्मिलित हो गया।

9. माननीय कर बोर्ड द्वारा एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वयं ने यह माना है कि अपीलार्थी को कार्य का आदेश 12.07.2011 को हुआ है अतः 12.07.2011 को प्रचलित दर लागू होगी परन्तु अपीलीय अधिकारी एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा यह त्रुटि स्पष्ट रूप से की गई है कि दिनांक 12.07.2011 को बिल्डिंग कार्य के लिये शुल्क दर 1.5 प्रतिशत ही थी जबकि उनके द्वारा इसके विपरीत 01.04.2012 से लागू की गई दर तीन प्रतिशत मानी गई।

10. अतः उक्त त्रुटि स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड में परिलक्षित भूल है जिससे अपीलीय निर्णय एवं माननीय कर बोर्ड के निर्णय गलत रूप से दे दिये गये हैं अतः अपीलार्थी की मूल अपील में यह आदेश किया जाता है कि अपीलार्थी व्यवसायी को दिनांक 12.07.2011 को जारी बिल्डिंग कार्य के लिये उस दिन प्रचलित अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुसार ई.सी. फीस 1.5 प्रतिशत लागू होगी अतः दिनांक 27.11.2015 के आदेश में संशोधन कर यह निर्णय किया जाता है कि अपीलार्थी का ई.सी. प्रमाण पत्र 1.5 प्रतिशत से जारी योग्य है फलतः अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 14.03.2013 एवं संशोधित आदेश दिनांक 30.05.2015 अपास्त किये जाते है एवं माननीय कर बोर्ड के आदेश को संशोधित कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य

(मदन लाल)
सदस्य